

सं. ११- ५५२३ / १३-५-९५- ५६३/९५

प्रेषक,

आसोड संघ,
तप्वि,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में

शिक्षा निदेशक,
उर्दू/प्राच्य भाषाएँ ;
उ०प्र०, लखनऊ ।

शिक्षा १९१ अनुभाग

दिनांक: १३ मई, १९९५

विषय:

उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु सहायक अध्यापक/तहायक अध्यापिकाओं की भर्ती के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित जूनियर/सीनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में उर्दू भाषा भाषा- विज्ञापन आदि ।

===३३०===

महोदय,

मुझे आपसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि प्रदेश में उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक/तहायक अध्यापिकाओं की भर्ती का मामला विचाराधीन है । इस संबंध में वैशिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली १९८१ में शैक्षिक अहंताओं के संबंध में आवश्यक संशोधन कर शैक्षिक प्रशिक्षण अहंताओं उर्दू भाषा में निर्धारित की गई हैं । संशोधित नियमावली की प्रति आपको भेजी जा रही है ।

मुझे यह भी रुझान है कि बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरा जाना है अतः रिक्तियों के भरण के संबंध में जो विज्ञापन दिया जाये उसमें एकस्या भी रखी जाये जिससे कि रिक्तियों की तम्भाकाये उत्पन्न न हों । तदनुसार निर्धारित शैक्षिक अहंताओं/तहायक अहंताओं का भी उल्लेख विज्ञापन में अंकित किया जाये । विज्ञापन का प्रासंगिकता सुविधा हेतु तंतुन किया जा रहा है । विज्ञापन हिन्दी व उर्दू के समचार पत्रों में सर्व निर्देशानुसार निकाले जायेंगे ।

—५/५/९५